यह कि ग्राम वासियान कोशीथल द्वारा एक प्रार्थना पत्र मननीय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर [illegible] कर उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन करवाने हेतु निवेदन किया था और यह बताया [illegible] तालाब के भराव क्षैत्र में नहीं आती है तथा उक्त भूमि ऊचाई पर है जंहा दुर तक [illegible] की कोई संभावना नही है तथा यह भूमि पानी भराव के क्षैत्र में नहीं आती हैं।

अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना हैं कि ग्राम कोशीथल के नवीन आराजी नं0 1810 रकबा [illegible] किस्म पेटा II की जगह साबिक आराजी नम्बर 1610 किस्म पड़त बारानी II अ0ओड़ी [illegible] भैरूजी बावजी स्थान 1 बिस्वा कराया जाना आवश्यक हैं।

प्रकरण दिनांक 12.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना [illegible] जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमायी [illegible] बाबत् प्रा0 पत्र पेश किया प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया व तहसीलदार सहाड़ा से मौका [illegible] तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :–

[illegible]यान कोशीथल के प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म के गलत इन्द्राज को [illegible] करवाने के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक कोशीथल व पटवारी हल्का कोशीथल से [illegible] जांच कराई गई ग्राम कोशीथल के साबिक आराजी नं0 1610 रकबा 12 बीघा 19 [illegible] भूमि में से 12 बीघा 17 बिस्वा की किस्म पड़त तृतीय, एक बिस्वा भूमि की किस्म [illegible] तथा एक बिस्वा भूमि की किस्म भैरू जी स्थान दर्ज रेकार्ड थी। भू प्रबंध की [illegible] के दौरान उक्त आराजी नं0 1610 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा के नवीन आराजी नं0 [illegible] रकबा 2.16 हे0 बनाये जाकर किस्म पेटा द्वितीय दर्ज कर दी गई थी। उक्त आराजी के [illegible] निरीक्षण से जाहिर हुआ कि आराजी नं0 1810 रकबा 2.16 हे0 भूमि जो ऊंचाई पर [illegible] होकर इस आराजी में तालाब की रपट चलने पर भी पानी नहीं भरता है। अतः मौका [illegible] तथा साबिक रेकार्ड अनुसार उक्त ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 1810 रकबा 2.16 हे0 [illegible] की किस्म पेटा द्वितीय के बजाय पूर्ववत 2.14 हे0 की किस्म बारानी द्वितीय , तथा 0.01 [illegible] की किस्म गे0मु0ओडी तथा 0.01 हे0 की किस्म गे0मु0 स्थान दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी [illegible] अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने [illegible] के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं [illegible] रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] कोशीथल के आराजी नं0 1810 रकबा 2.16 हे0 भूमि की किस्म पेटा द्वितीय के बजाय [illegible] 2.14 हे0 की किस्म बारानी द्वितीय , तथा 0.01 हे0 की किस्म गे0मु0ओडी तथा 0.01 [illegible] की किस्म गे0मु0 स्थान दर्ज किया जाना न्यायोचित है अतएवः–

2.

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

संख्या :–46 / 2021 (2021 / 248) दर्ज दिनांक 12.07.2021

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

सरपंच ग्राम पंचायत कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीः–श्री भोलाराम माली

विपक्षीः– पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 23.07.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ग्राम कोशीथल का जनप्रति निधि होकर ग्राम पंचायत कोशीथल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है एवं पचायत क्षैत्र के निवासियों के हित में कार्य करने हेतु उत्तरदायी है। यह कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1610 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा किस्म पड़त ।।। अ0ओड़ी 1 बिस्वा भैरूजी बावजी स्थान 1 बिस्वा स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 संलग्न है।

यह कि भूप्रबंध अधिकारियों को साबिक आराजी के भू प्रबंध के दौरान कि किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह कि ग्राम कोशीथल का भू–प्रबंधक होने से साबिक आराजी संख्या 1610 के नवीन नम्बर 1810 रकबा 2.16 हे0 कायम किये गये है। उक्त आराजी की किस्म पेटा ।। दर्ज कर दिया गया है प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल व नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 साथ संलग्न है।

यह कि राजस्व अधिकारियों में बिना उच्च अधिकारियों से कोई आदेश प्राप्त किये भूप्रबंध अधिकारियों ने साबिक आराजी संख्या 1610 की किस्म पड़त होते हुए भी मनमकसूद तरीके से सेटलमेन्ट किस्म पेटा ।। दर्ज कर दी । जो मौके की स्थिति के विपरित होकर पुनः किस्म बंजर/पड़त ।। दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

कलेक्टर
अधिकारी)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :–46 / 2021 (2021 / 00248)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 1810 रकबा 2.16 हे0 भूमि की किस्म पेटा द्वितीय के बजाय रकबा 2.14 हे0 की किस्म बारानी द्वितीय , तथा 0.01 हे0 की किस्म गे0मु0ओडी तथा 0.01 हे0 की किस्म गे0मु0 स्थान राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर रिकार्ड जमा हो।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)